संख्या-4/2016-354/58-2016-441/2015

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 02 फरवरी, 2016**

विषय: निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, सप्रू मार्ग, लखनऊ के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल पर सम्पूर्ण विद्युत वायरिंग का कार्य करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-265/बजट-आयोजनेत्तर/2015-16 दिनांक 18.12.2015 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-6/2015-973/58-2015-423/2015 दिनांक 29.4.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-001-03-29 अनुरक्षण मद के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, सप्रू मार्ग, लखनऊ के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल पर सम्पूर्ण विद्युत वायरिंग का कार्य करने हेतु रू0-27.38 लाख(रूपये सत्ताईस लाख अडतीस हजार) मात्र की धनराशि के व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति उक्त शासनादेश दिनांक 29.4.2015 में निहित शर्तो एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैं:-

(1) उक्त धनराशि से विद्युत वाईरिंग का कार्य शासन के सुसंगत नियमों/वित्तीय नियमों/ निर्देशों के अनुसार उक्त धनराशि की सीमा के भीतर ही कराया जायेगा।

(2) अवमुक्त की गयी धनराशि को नामित कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, लखनऊ को दो किश्तों में दी जायेगी। प्रथम किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग हो जाने के पश्चात्, कराये गये कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुरूप सुनिश्चित होने के फलस्वरूप ही द्वितीय किश्त का भुगतान किया जायेगा ।

(3) अवमुक्त की गयी धनराशि का आहरण योजना के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार फेजिंग करते हुए आवश्यकतानुसार किया जाय।

(4) लागत का आंकलन पी0डब्लू0डी0 द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार ही किया जायेगा। विसंगति की स्थिति निदेशक, उद्यान, जनपदीय उद्यान अधिकारी एवं नामित कार्यदायी संस्था सीधे उत्तरदायी होंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) प्रश्नगत कार्यो की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसे निदेशक, उद्यान/ वित्त नियन्त्रक अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

(6) जिन मदों में व्यय हेतु शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक हो उनमें धनराशि के व्यय करने से पूर्व शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(7) अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय शासन में प्रेषित की गयी योजना के अनुसार ही किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-2/2015-बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30.3.2015 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-निदेशन तथा प्रशासन-03 केन्दीय निदेशालय-29 अनुरक्षण" मद के नामें डाला जायेगा।

(9) यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-2/2015-बी-1-925/दस-2015/231/2015 दिनांक 30.3.2015 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

संख्या:-4/2016-354(1)/58-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-।, उ0प्र0 शासन।
5- वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड लखनऊ ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in